2.6- प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा अपलोड किये जाने वाले आवश्यक संलग्नक

2.6.1 – *अनिवार्य संलग्नक*

अनिवार्य संलग्नक वो हैं जिन्हें प्रस्ताव को अपलोड करते समय अनिवार्य रूप से एक–एक करके साईट पर आवश्यक रूप से अपलोड किया जाना है। अनिवार्य संलग्नक निम्न प्रकार हैं –

सारणी–10

संलग्नक सं0	संलग्नक का नाम **Name of the Attachment**	संक्षिप्त विवरण **Short Description**
1.1	Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency. सक्षम अधिकारी / ऑन–लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण पत्र।	जिस व्यक्ति द्वारा प्रस्ताव को अपलोड किया जायेगा, उसके नाम एवं पद के साथ के कार्यालयध्यक्ष द्वारा एक प्रमाणपत्र इस कार्य को करने हेतु सक्षम बनाकर दिया जाना है।
1.2	Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted. सर्वे ऑफ इण्डिया टोपोशीट मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण वन क्षेत्र को दर्शाया गया हो।	सर्वे आफ इण्डिया के टोपोशीट पर प्रस्तावित समरेखन जिन–जिन वन क्षेत्र से गुजरेगा उस क्षेत्र की वनों की वैधानिक स्थिति को दर्शाते हुए अलग–अलग रंग प्रयोग करते हुए दर्शाया जाना है।
1.3	Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS. मैप जिसमें टोपोशीट पर प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 के साथ दिखाया गया हो।	यह एक ऐसा मानचित्र है जिसे डिजिटाईजड मैप पर कम्प्यूटर पर बनाना है और इस मानचित्र पर प्रस्तावित समरेखन को GPS के साथ दर्शाया जाना है। इस मानचित्र की की CD भी बनायी जानी है ।
1.4	Google Map of the proposed site showing legal status of the proposed land and alternative examined for the project with legend. (kml file) (pdf file). गूगल मानचित्र जिसमे प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	Goole Earth साईट को खोलकर उस पर प्रस्तावित तथा वैकल्पिक समरेखन के GPS डालने पर यह मानचित्र तैयार हो जायेगा और इस मानचित्र को Google Earth में Save करने पर स्वयं KML File तैयार हो जायेगी इस मानचित्र की एक प्रिन्ट निकालकर एव उसे स्कैन करके प्रस्ताव के साथ अपलोड किया जाना है। PDF file में
1.5	Note containing justification for locating the Project in forest land (pdf file). प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	प्रस्ताव में जिस वन भूमि की माँग वनों के गैर वानिकी प्रयोग हेतु माँगी जा रही है उस माँग के औचित्य को दर्शाते हुए एक सन्दर्भित आख्या देनी है। आख्या में इस वन भूमि के विकल्प क्यों नहीं है इस पर भी विस्त्रितो आख्या देनी है।

Scanned with CamScanner

1.6	Certificate by DM- Forest Right Act-2006(in MoEF revised prescribed form) (pdf file). जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वन अधिकार अधिनियम, 2006 का प्रमाण–पत्र मय सलग्नकों के (नये प्रारूप में)।	यह प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में जिलाधिकारी द्वारा दिया जाना है,परन्तु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दो प्रमाण पत्र जिसमें ग्राम वासियों द्वारा अनापत्ति दिया गया हो और एक प्रमाण पत्र जिसमें उपजिलाधिकारी द्वारा ग्राम स्तर पर बैठक आदि करके वनाधिकार के निर्धारित हो, जाने के संबध दिया गया हो को अपलोड किया जाना है।	✓
1.7	Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation: signed by DFO (pdf file). प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थान को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	इस प्रमाण पत्र पर टोपोसीट की छायाप्रति जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थान को स्पष्ट GPS संख्या के साथ दर्शायी गई हो को Scan करके एंव उसकी Pdf File बनाकर अपलोड किया जाना है। लागू नहीं।	✗
1.8	Colored copy of the google map showing the land identified for CA. (kml file) signed by DFO (pdf file). रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	इस मानचित्र पर गूगल मैप की रंगीन छाया प्रति जिस पर प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो को Scan करके एवं Pdf file बनाकर अपलोड किया जाना है । ध्यान यह रखा जाये कि जिस स्थान पर वृक्षारोपण प्रस्तावित है उस स्थान का नाम भी इस मानचित्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाये। लागू नहीं।	✗
1.9	If non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency? A Copy of ownership proof and No Objection Certificate (pdf file). यदि प्रस्तावित कार्य हेतु गैर वन भूमि अथवा राजस्व वन भूमि की आवश्यकता हो तो भूमि धर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं भूमिधरो का भूमिधर होने का प्रमाण–पत्र।	अगर प्रस्ताव में वन क्षेत्र के अतिरिक्त ऐसा क्षेत्र भी प्रस्तावित किया जा रहा है जो कि वन नही है यानि निजी भूमि/राजस्व भूमि/व्यक्तिगत है तो प्रस्तावित व्यक्तिगत क्षेत्र या अन्य प्रकार का भूमि जो वन विभाग के कब्जे में नहीं है, उसके वर्तमान स्वामी द्वारा एक अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा उनके भूमि के स्वामी होने का प्रमाण पत्र Scan कर अपलोड किया जाना है। लागू नहीं।	✗
1.10	Copy of Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency. (pdf file). भूमिधर एव प्रयोक्ता एजेन्सी के बीच हुए करार (PDF).	अगर प्रस्ताव में गैर वनभूमि यानि ऐसा वन क्षेत्र जो कि वन विभाग के कब्जे में नही है, भी प्रस्तावित है तो प्रयोक्ता एजेन्सी वर्तमान भू स्वामी के साथ एक करार करना पड़ेगा कि इस वन भूमि को वर्तमान भू स्वामी किन शर्तों पर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराय । इस करार की प्रति pdf format upload किया । लागू नहीं।	✗
1.11	Cost benefit anylises (in more then 5.0 ha. Land diversion cases) (pdf file). विस्तृत लागत–लाभ विशलेषण प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट को बनाने में जितना व्यय किया जायेगा उतना करने के पश्चात अथवा किये जाने के दौरान/सतत रूप से कितना आर्थिक लाभ होगा का तुलनात्मक विवरण भारत सरकार द्वारा निर्धारत प्रारूप में पूर्ण औचित्य के साथ दिया जाना है। लागू नहीं।	✗

Scanned with CamScanner

2.6.2- *अतिरिक्त संलग्नक*

अतिरिक्त संलग्नक वे हैं जिन्हे प्रस्ताव के अनिवार्य 11 संलग्नकों को अपलोड करने के पश्चात **सबसे अन्त** में साईट के अन्तिम पेज पर Additional Information के नाम में एक साथ एक के बाद एक अपलोड करना है। यह अतिरिक्त संलग्नक निम्न प्रकार से है–

सारणी–11

संलग्नक सं0	संलग्नक का नाम **Name of the Attachment**	संक्षिप्त विवरण **Short Description**
2.1	A short narrative and importance of the project.. (pdf file). प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता।	एक सारगर्भित आख्या, जिसमें प्रस्तावित परियोजना के विषय में पूरा विवरण संक्षेप में दिया गया हो को अपलोड किया जाना हैं, जिसमें प्रस्तावित कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य का पूर्ण वर्णन किया जाना ।
2.2	Administrative and Financial sanction (pdf file). परियोजना हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति को Scan कर अपलोड किया जाना है तथा यह ध्यान रखा जाना है कि यह प्रमाण पत्र स्वच्छ एवं पठनीय हो जिसमें सक्षम अधिकारी के नाम पद कार्यलय दिनांक आदि स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो ।
2.3	Preliminary Joint Inspection report (by user agency, forest department, revenue department etc.) (pdf file). संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट। (प्रयोक्ता एजेन्सी तथा वन विभाग एवं राजस्व विभाग के साथ)।	प्रस्ताव को बनाते समय प्रारम्भ मे प्रयोक्ता एजेन्सी, वन विभाग, राजस्व विभाग एवं अन्य दावेदारो द्वारा सयुक्त निरीक्षण किया जाना है एवं इस निरीक्षण आख्या को बनाते समय यह ध्यान रखा जाना है कि प्रस्तावित समरेखण, वैकल्पिक समरेखण एवं मलवा निस्तारण का चयन भी साथ–साथ कर लिया जाये एव उस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से इसका विवरण दिया जाये। प्रस्तावित एवं वैकल्पिक समरेखनों पर वृक्षों की गणणा कर ली जाये।अच्छा होगा कि भूवैज्ञानिक का सलाह भी प्रस्तावित समरेखन हेतु प्राप्त कर ली जाये ।
2.4	Comperative chart showing statement of both alignment or alternate site explored for the proposed project and reasons for their rejection duly countersigned by DFO. (pdf file). वैकल्पिक संरेखणों को मानचित्र पर प्रदर्शित कर उनके निरस्त किये जाने का औचित्य एवं कारण।	इस स्थान पर एक ऐसी रिपोर्ट जिसमे प्रस्तावित समरेखण एवं वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने एवं प्रस्तावित समरेखण को चुने जाने का पूर्ण आधार comparative chart बनाकर दिया गया हो अपलोड किया जाये।
2.5	Certificate from the DM that no alternative suitable non-forest land is available for the project in question and the demand of the forest land for the project is barest minimum. (pdf file). जिलाधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र।	इस स्थान पर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा एक प्रस्तावित क्षेत्र के अतिरिक्त किसी भी दूसरे वैकल्पिक क्षेत्र उपलब्ध ना होने के विषय मे एवं प्रस्तावित माग न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र दिया जाना है एवं इस पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर भी आवश्यक रूप से होने है।

Scanned with CamScanner

2.6	Land schedule (for RF signed by DFO and civil soyam, Van panchayat and private nap land signed by DM). (pdf file) . प्रभावित वन भूमि का लैण्ड शैड्यूल (रिजर्व फोरेस्ट में प्रभागीय वनाधिकारी तथा राजस्व भूमि में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)।	लैण्ड शैड्यल आदि इस मार्गदर्शिका के अन्त में जो प्रारूप दिया गया है उसी प्रारूप में बनाया जाना है एवं इसमें सभी सम्बन्धित अधिकारियों के हस्ताक्षर होने है।
2.7	Category wise (RF,civil soyam, Van panchayat and private nap land, Notified forest land etc.) land length, width and area in Ha. (pdf file). परियोजना की लम्बाई चौड़ाई तथा कुल क्षेत्र है0 में भूमि विभिन्न वर्गवार आरक्षित, निजि वन, वन पंचायत, नीजि भूमि, आदि।	प्रस्तावित भूमि के विभिन्न उपयोग के विषय में एवं विभिन्न प्रकार की भूमियों की आवश्यकता होगी उसे हेक्टेयर में दर्शाया जाना हैं एवं इस प्रमाण पत्र पर भी जिलाधिकारी एवं अन्य दावेदारों के हस्ताक्षर होने हैं।
2.8	Bar Chart with index (counter signed by DFO). (pdf file). परियोजना का भूमि उपयोग का बार–चार्ट। (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)।	बार चार्ट इस मार्गदर्शिका में दिये गये प्रारुप के अनुसार ही बनाना है और यह ध्यान रखा जाना इस बारचार्ट में केवल वन भूमि को ही नहीं वरन प्रस्ताव में शामिल सभी प्रकार की भूमि को प्रयोजन वार एवं समरेखण में किस स्थान पर किस भूमि का उपयोग होगा उसे विभिन्न रंगों से दर्शाया जाना है।
2.9	Compensatory afforestation scheme in Civil and Soyam land (10 years) by DFO (pdf file). क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना सिविल भूमि पर (10 वर्षीय दरों पर)।	दस वर्षीय क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रभागीय वनाधिकारी से तैयार करवाकर कर एवं उनके हस्ताक्षर कराकर अपलोड किया जाना है। योजना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल तथा उसके अशांक्ष एवं देशान्तर
2.10	Certificate regarding suitability of indentified land for Comensatory Afforestation by DFO (pdf file). क्षतिपूरक वृक्षारोपण वन स्थल उप्युक्तता प्रमाण–पत्र। (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा)।	जिस स्थान पर क्षति पूरक वृक्षारोपण होना है वह स्थल वृक्षारोपण हेतु पूर्ण रूप उपयुक्त है एवं उस स्थल पर वृक्षारोपण किये जाने की आवश्यकता है के विषय में एक प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर अपलोड किया जाना है।
2.11	Undertaking by the User Agency to bear the cost of compensatory afforestation duly counter signed by the DFO (pdf file). प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण को बहन किये जाने का प्रमाण–पत्र। (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)।	क्षति पूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वहन किया जायेगा के विषय में एक प्रमाण पत्र स्पष्ट रूप से बनाकर अपलोड किया जाना है।
2.12	Road side/gap filling plantation estimate (by DFO) (pdf file). प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त रिक्त पडे स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	रिक्त स्थानो पर एवं खाली स्थानों पर 10 वर्षीय पौघारोपण करने का प्राकल्लन प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तैयार करके अपलोड किया जाना है।

Scanned with CamScanner

2.13	Undertaking by the User Agency to bear the cost of Road side /gap filling plantation (by user agency) (pdf file) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रोड साईड पथ वृक्षारोपण एवं रिक्त स्थानों पर होने वाले प्लानटेशन के व्यय को वहन किये जाने सम्बन्धी एक प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना है।
2.14	Estimate of 100 trees plantation by DFO (less then 1.0 ha. cases) (pdf file). प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त 100 वृक्षों के वृक्षारोपण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र। (1 है0 से कम मे लागू।)	100 वृक्षों का DFO स्तर से 10 वर्षीय प्राक्कलन बनवाकर अपलोड किया जाना है।
2.15	Details of the trees with their scientific name in RF, Civil Soyam, Van Panchayat, Private Notified land and in Nap Land should be mentioned (with valuation of the trees to be felled) (0-10 dia trees will be mentioned as saplings). (pdf file) Tree count. परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची एवं उनके वैज्ञानिक नाम। (सूची आरक्षित वन क्षत्र, सिविल, वन पंचायत, एवं निजी भूमि दोनों अलग–अलग बनायी जानी होगी)।	काटे जाने वाले वृक्षो की सूची मय वैज्ञानिक नाम के बनाकर अपलोड किया जाना है और यह ध्यान रखा जाना है कि आरक्षित वन सिविल वन, वन पंचायत, नाप भूमि आदि स्थानो पर करने वाले वृक्षों की भूमीवार अलग–अलग सूचियाँ बनायी जाये।
2.16	Felling of Oak trees (if involves, inspection report of the concerning CF has to be provided). (pdf file). बांज प्रजाति के वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षक की संस्तुति का प्रमाण–पत्र।	अगर बांज वृक्षों का पातन निहित है तो वन संरक्षक की संस्तुति का प्रमाण पत्र वन संरक्षक स्तर से बनवाकर अपलोड किया जाना है
2.17	If felling of trees is not involved, certificate by DFO in this regard. (pdf file). अगर वृक्षों का पातन नहीं होना है तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र।	अगर वृक्षों का पातन निहित नहीं है तो इस सम्बन्ध मे प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से एक प्रमाण पत्र तैयार करवाकर अपलोड किया जाना है।
2.18	Certificate of felling minimum trees during the project work. (pdf file) . न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	न्यूनतम वृक्षों के पातन हेतु प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से बनवाकर अपलोड किया जाना है।
2.19	Muck disposal scheme (in prescribed format) (pdf file). परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निस्तारण की योजना। (निर्धारित प्रारूप मे)।	मलवा निस्तारण प्रस्ताव बनाये जाने का माडल इस मार्गदर्शिका मे दिया गया है । इसी के अनुसार प्लान बनाकर अपलोड किया जाना है।

Scanned with CamScanner

2.20	Whather project area is a part of National Park or sanctuary and airal distance of the project from National Park or sanctuary signed by DFO. (pdf file). प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।	प्रस्तावित स्थल के राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य से हवाई दूरी कितनी है के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी से एक प्रमाण पत्र बनाकर अपलोड किया जाना है।
2.21	If the project area is within 10 Km radius of N/P or Centuary, Comments/No objection certificate of CCF Wild Life has to be provided. (pdf file) . यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के 10 किमी0 की परिधि में आता है तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र	अगर प्रस्तावित स्थल के राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा नही है और हवाई दूरी सीधी दूरी राष्ट्रीय अभयारण्य से 10 कि0मी0 या कम है तो मुख्य वन्य जीव प्रति पालक का अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना है।
2.22	If the Project falling within the National park or Sanctuary, needs recommendation of State Wild Life Board, National Board of Wild Life (NBWL) and permission of Hon'ble Supreme Court/MoEF GoI. (pdf file). यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत आता है तो ऐसे प्रकरणो मे राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड, भारतीय वन्य जीव परिषद एवं मा0 उच्चतम न्यायालय की अनुमति ।	अगर प्रस्तावित स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य के अन्दर आता है तो उस दशा में राज्य वन्य जीव बोर्ड तथा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड एवं माननीय उच्चतम न्यायालय भारत सरकार की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपलोड किया जाना है।
2.23	No voilation has taken place. FC Act. 1980 reg. (pdf file). वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन न होने का प्रमाण–पत्र।	प्रस्तावित स्थल पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है. के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपलोड किया जाना है। अगर हुआ है तो उस संबध में विवरण दिया जाना है ।
2.24	NOC from local Gram Sabhas. (pdf file). ग्राम–सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	प्रस्तावित स्थल के विषय में ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपलोड करना है
2.25	Approved general lay out plan/alignment and estimate from competent authority with name and designation (pdf file). प्रस्तावित परियोजना का ले–आउट प्लान एव प्राकल्लन तथा सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा मय नाम एवं पद के साथ।	अगर भवन निर्माण आदि होना है तो ले आउट प्लान एवं प्राक्कलन सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षित विस्त्रत प्लान अपलोड किया जाना है । लागू नही।

Scanned with CamScanner

2.26	Component wise details of construction work. (pdf file) . अवयव के अनुसार निर्माणाधीन कार्यों का विवरण। (यदि लागू हो तो)।	अगर प्रस्तावित स्थल पर किसी प्रकार का कोई निमार्ण होना है तो अलग–अलग कार्य के मदवार मात्रा का विवरण बनाकर अपलोड किया जाना है। लागू नही।
2.27	Certificate- work has not been started reg. (pdf file). कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण–पत्र।	प्रस्तावित स्थल पर किसी प्रकार का कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है इस सम्बन्ध में एक प्रमाण पत्र बनाकर अपलोड किया जाना है।
2.28	Geologist Report (Govt. approved Geologist). (pdf file). भू–वैज्ञानिक की आख्या।	भू वैज्ञानिक की आख्या प्राप्त कर अपलोड किया जाना है।
2.29	Task Force report. टास्क–फोर्स रिपोर्ट।	अगर प्रस्तावित स्थल पर टास्कफोर्स के द्वारा कार्य किया जा रहा है तो टास्क फोर्स से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपलोड किया जाना है।
2.30	Certificate by user agency for complying the condition imposed in Standard Condition (pdf file). प्रस्तावक विभाग द्वारा मानक शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	मानक शर्तों की सूची का प्रारुप दिया गया है जिसको की प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा मान्य होने के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर करके अपलोड किया जाना है।
2.31	Certificate by user agency for complying the condition imposed in geologist report/Task force recommendation in hill areas (excluding drinding water. टास्क–फोस एवं भू–वैज्ञानिक की शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा टास्क फोर्स एवं भू वैज्ञानिक रिपोर्ट में अगर कोई शर्तें लगाई गई है तो उसको मान्य होने के सम्बन्ध में एक प्रमाण पत्र दिया जाना है।
2.32	No historical/monumental or relegeous place will be effected certificate reg. (by DM/DFO) (pdf file). धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का स्थल न होने का प्रमाण–पत्र।	प्रस्तावित स्थल पर या आस–पास धार्मिक, पौराणिक भवन आदि ना होन का प्रमाण पत्र सम्बन्धित अधिकारी से प्राप्त कर अपलोड करना है।
2.33	Undertakoing regarding no animal will be effected adversely by the project. (Pdf file). वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुंचाये जाने का प्रमाण–पत्र।	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से प्रस्तावित कार्य के होने से किसी भी प्रकार के वन्य जीव या वनस्पति को क्षति न होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना है।
2.34	Undertading to provide alternative fuelwood, kerosene or LPG to labours involved in project. (Pdf file). परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी का तैल एवं रसोई गैस का प्रमाण–पत्र।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रदत्त परियोजना के दौरान श्रमिकों का गैस/कैरोसीन या एल0पी0जी0 उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध मे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र को अपलोड किया जाना है।
2.35	Benefited villages/Families/Population Certificate. (pdf file). लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र	लाभान्वित होने वाले परिवारो/जनसंख्या के विवरण के संबध मे प्रयोक्ता एजेन्सी तथा राजस्व विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र।

Scanned with CamScanner

2.36	NPV calculation certificate as per Hon'ble Supreem court /MoEF orders by DFO (pdf file). एन०पी०वी० की देयता का प्रमाण–पत्र।	नेट प्रेसेन्ट वैल्यू (N.P.V) के गणना का प्रमाण पत्र/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नियमानुसार आंकलन किया जायेगा एवं अपलोड किया जायेगा।
2.37	Undertaking of payment of NPV, if Hon'ble Supreem Court increses the rates of NPV (by user agency) मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि की देयता का प्रमाण–पत्र।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०वी०पी० के बढी हुयी धनराशी को देने हेतु सहमति का प्रमाण पत्र देना होगा।
2.38	Cost of the forest land and lease rent certificate by DM. (pdf file). वन भूमि के लीज रेंट का प्रमाण–पत्र।	सबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित भूमि का मूल्य एवं लीज रेन्ट के प्रमाण पत्र को अपलोड करना है।
2.39	Certificate of Lease period by user agency. (pdf file) . लीज अवधि का प्रमाण–पत्र।	लागू होने पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा लीज अवधि का प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
2.40	Demarcation of land to be diverted (pdf file). आर०सी०सी० पिलरों के सीमांकन का प्रमाण– पत्र।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तावित स्थल के सीमांकन हेतु लगाये जाने हेतु सीमा पिलरों के प्राकल्लन को अपलोड करना होगा।
2.41	Undertaking of user agency to bear the cost for dimarcation work (pdf file). आर०सी०सी० पिलरों के व्यय को वहन करने हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा दिया गया।	सीमा पिलरों पर होने वाले व्यय को वहन करने करने का प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिया जाना।
2.42	Non-availibility of non-forest land for compensatory afforastation certificate by Chief seceratary (pdf file). क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु गैर भूमि उपलब्ध न होने का मुख्या सचिव द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र। (अगर लागू हो)।	अगर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि उपलब्ध नही है तो इस सम्बन्ध में संबध में मुख्य सचिव द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र दिया जाना होगा।
2.43	Check list/Fact sheet . /Other imp details चैक लिस्ट/फैक्ट शीट/अन्य विवरण	प्रभावित परियोजना के संबध में संक्षेप में एक सार संक्षेप (फैक्ट शीट) को अपलोड करना है।

वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव को ऑन–लाइन अपलोड करते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें।

1. सर्व प्रथम प्रस्ताव ऑन–लाइन अपलोड करने से पूर्व प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने वाले फार्म ए भाग–1 में लगाये जाने/अपलोड किये जाने वाले समस्त प्रमाण–पत्रों/ अभिलेखों/मानचित्रों को पी०डी०एफ० फॉर्मेट में परिवर्तित कर साफ्ट कापीज् को एक फोल्डर में सुरक्षित (Save) कर लिया जाय। **File** को **Save** करते समय ध्यान देना है कि **File** के नाम में कोई **Special charater** ना डाला जाये तथा **file** का **size** 20 **MB** से अधिक ना हो ।

2. पी०डी०एफ० स्कैन को इस कार्यालय द्वारा बनाये गये संलग्नक–1 तथा तथा संलग्नक–2 (**Attachments-1** तथा **Attachments-2**) में अंकित क्रम के अनुसार ही नाम/बिन्दु संख्या लिख कर स्कैन किया जाय। उदाहरणार्थ संलग्नक–1 के बिन्दु संख्या–1 में संलग्न किये जाने वाले प्रमाण–पत्र (प्रस्ताव को ऑन–लाइन किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत किये गये कर्मचारी/अधिकारी से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र) को 1.1, बिन्दु संख्या–2 में प्रस्तावित परियोजना को प्रदर्शित करते हुए सर्वे ऑफ इण्डिया के 1:50000 के पैमाने के मानचित्र में स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए सम्बन्धित सक्षम अधिकारियों के हस्ताक्षर सहित संकेत तालिका (**Legend**) भी बनायी गयी हो, को 1.2 तथा इसी प्रकार अन्य क्रमवार नम्बर दिये जाय, ताकि प्रस्ताव अपलोड करते समय प्रत्येक बिन्दु की सूचना निर्दिष्ट क्रम में अपलोड किया जा सके।

Scanned with CamScanner